उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 03/2020/223/12-2-2020-बजट-1/2009
लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2020

शुद्धि-पत्र

लेखा शीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-04- विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-24-वृहत्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्या: 1651/12-2-2019-बजट-1/2009 दिनांक 24 जून, 2019 के प्रस्तर के संख्या-1 एवं प्रस्तर संख्या-9 में टंकण त्रुटि के कारण क्रमश: ''लेखा शीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना'' तथा ''लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों'' अंकित हो गया है जबकि वास्तव में ''लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-24-वृहत्त निर्माण कार्य'' है।

2. कृपया तद्नुसार पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 24 जून, 2019 के प्रस्तर-1 एवं प्रस्तर-9 में अंकित लेखाशीर्षक को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

राधेश्याम
अनु सचिव।

संख्या: 03/2020/223(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।